अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय, भोपाल

T. No. 0755-2501205 Email -ID jab.sec-cid@mppolice.gov.in

क./पुमु/अअवि/जेएबी/फा.न. 57/15/डी– 689 / 22 दि. 02/12/2022

प्रति,

समस्त पुलिस उपायुक्त नगरीय पुलिस भोपाल/इंदौर
समस्त पुलिस अधीक्षक, मध्य प्रदेश
समस्त पुलिस अधीक्षक रेल मध्य प्रदेश

विषयः विशेष किशोर पुलिस इकाई(SJPU) एवं बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) के कर्तव्य (T.O.R.) के संबंध में ।

———000———

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 107 के तहत राज्य सरकार प्रत्येक जिले एवं शहर में विशेष किशोर पुलिस इकाई(SJPU) का गठन किया जा चुका है, जिसका नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक या उससे वरिष्ठ स्तर का पुलिस अधिकारी करेगा एवं प्रत्येक पुलिस थाने में सहायक उप निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के कम से कम एक अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) नियुक्त होगा।

(I) **"बालक"** से ऐसा अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है ।

(II) किशोर जिनसे अपराध हो जाता है उन्हें अपराधी नहीं कहा जायेगा बल्कि उन्हें **"विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर"** (Child in Conflict with Law) कहा जावेगा ।

(III) देखरेख के अभाव वाले बच्चों को उपेक्षित के स्थान पर **"देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक"** (Child in need of care and protection) कहा जावेगा ।

विशेष किशोर पुलिस इकाई(SJPU) के कर्तव्य

1. जब विधि का उल्लघंन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार में सौंपेगा, जो तत्काल इन सबको सूचित करेगा : (जे.जे. नियम 8(2))

(i) बालक के माता–पिता या संरक्षण को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, और साथ ही उस बोर्ड का पता बताया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी जब माता–पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है ।

(ii) संबधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती और

(iii) बालक को पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ प्रस्तुत होने के लिए बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को सूचित किया जाएगा।

2. विशेष किशोर पुलिस इकाई के पुलिस अधिकारियों को बालकों से संबंधित मामलों से क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण दिलाया जाना सुनिश्चित करें। (जे.जे. नियम 86(3))

3. बालकों से वार्तालाप करने वाला पुलिस अधिकारी सादा कपड़ों में होगा और वर्दी में नहीं होगा और बालिकाओं के साथ पेश आने के लिए महिला पुलिस कर्मियों को लगाया जाएगा। (जे.जे. नियम 86(5))

4. SJPU या कोई अन्य पुलिस अधिकारी विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर एवं देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक से साथ दोस्ताना व्यवहार, विनम्रता पूर्वक से बात करेगा और बालक की गरिमा और आत्म सम्मान बनाए रखेगा । (जे.जे. नियम 86(6))

5. जहां कहीं ऐसे प्रश्न पूछे जाने हैं जो बालक को असहज बना सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को विनम्र तरीके से पूछा जाएगा। (जे.जे. नियम 86(7))

6. किसी भी अभियुक्त या संभावित अभियुक्त को बालक के संपर्क में नहीं आने दिए जाएगा और जहां पीड़ित और कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दोनों ही बालक हैं, उन्हें एक दूसरे के संपर्क में नहीं लाया जाएगा। (जे.जे. नियम 86(9))

7. विशेष किशोर पुलिस इकाई के पास निम्नलिखित की सूची होगी । (जे.जे. नियम 86(10))

(i) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बोर्ड और बाल कल्याण समिति, बैठक के उनके स्थान, बैठक के घंटे, बोर्ड के मुख्य मजिस्ट्रेट और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम और संपर्क ब्यौरों और बोर्ड और समिति के सामने अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और

(ii) इसके विधिवत क्षेत्राधिकार में बाल देखरेख संस्थाओं और उपयुक्त सुविधाओं के संपर्क ब्यौरों ।

8. विशेष किशोर पुलिस इकाई और बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के नाम और संपर्क व्यौरे पुलिस थानों, बाल देखरेख संस्थाओ, समितियों बोर्डो और बाल न्यायालय के प्रमुख भाग में प्रदर्शित किए जाएंगे। (जे.जे. नियम 86(11))

9. विशेष किशोर पुलिस इकाई उसके क्षेत्राधिकार में बालकों के कल्याण से संबंधित मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई, बोर्ड और समिति के निकट समन्वय में कार्य करेगी। (जे.जे. नियम 86(12))

10. जिला स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगी तकि जिले के विभिन्न पुलिस थानों में तैनात पैरा–लीगल स्वयंसेवक सुचारू रूप से कार्य कर सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि बालक पुलिस थाने से भी कानूनी सहायता प्राप्त कर सकें । (म.प्र.जे.जे. नियम, 2022 91(16))

11. सड़क पर रहने वाले चिन्हांकित बच्चों को रेस्क्यू करना एवं सुरक्षा प्रदान करना, बच्चों को बाल श्रम शोषण, बाल तस्करी से बचाये जाने हेतु कार्यवाही करना, मादक पदार्थों की क्रय/विक्रय करने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही करना। जी.आर.पी./आर.पी.एफ. के सहयोग से रेलवे क्षेत्रों, प्लेटफार्म में रहने वाले बच्चों का संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना एवं घर से भागे हुये अथवा गुमशुदा बच्चों की परिवार वापसी में सहयोग करना, एसजेपीयू यह कार्य चाईल्ड हेल्प लाईन तथा महिला बाल विकास विभाग के साथ ही करेगें । (सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास हेतु नीति, 2022, 12(बी))

12. जिलों के विशेष किशोर पुलिस इकाई के नोडल अधिकारी/प्रभारी जिला स्तरीय किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रभावी कियान्वयन हेतु आयोजित समन्वय बैठक में उपस्थित होंगे।

13. विशेष किशोर पुलिस इकाई बालकों/किशोरों से संबंधित विभिन्न कानूनों जे.जे. एक्ट, 2015, पॉक्सो एक्ट 2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2010, बाल व किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 2016 इत्यादि के प्रभावी क्रियान्वयन व अनुपालन हेतु जिले में कार्य करेगी, यह कार्य चाइल्ड हेल्प लाईन तथा अन्य विभागों के अधिकारियों के समन्वय के साथ विधि अनुसार ही करेगा ।

14. किसी भी देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बालक अथवा विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चे का संज्ञान लेना व नियमानुसार कार्यवाही करें।

15. बच्चों के मामलों हेतु थानों पर नियमित विजिट करना व आवश्यक सहायता प्रदान करना।

16. एस.जे.पी.यू, स्कूल, कॉलेजो मे बाल हिंसा, साइबर सुरक्षा व बाल अधिनियमों पर जानकारी व जागरूक्त हेतु कार्यक्रम विभिन्न सम्बंधित विभागों व स्वंयसेवी संस्थाओं के माध्यम से आयोजित करने का कार्य करेगी।

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी (CWPO) के कर्तव्य

1. जब विधि का उल्लघंन करने के लिए अभिकथित बालक को पुलिस पकड़ती है तब संबंधित पुलिस अधिकारी उस बालक को विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को प्रभार में सौंपेगा, जो तत्काल इन सबको सूचित करेगा : (जे.जे. नियम 8(2))

(i) बालक के माता–पिता या संरक्षक को यह सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, और साथ ही उस बोर्ड का पता बताया जाएगा, जिसके समक्ष बालक को प्रस्तुत किया जाएगा तथा उस तारीख और समय की जानकारी दी जाएगी जब माता–पिता या संरक्षक को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होना है ।

(ii) संबधित परिवीक्षा अधिकारी को सूचित किया जाएगा कि बालक को पकड़ा गया है, ताकि वह बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य महत्वपूर्ण परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त कर सके, जो जांच कार्य में बोर्ड के लिए सहायक सिद्ध हो सकती और

(iii) बालक को पकड़े जाने के समय से चौबीस घंटे के भीतर उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करते समय विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के साथ प्रस्तुत होने के लिए बाल कल्याण अधिकारी या मामला कार्यकर्ता को सूचित किया जाएगा।

2. विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक को पकड़ने वाला पुलिस अधिकारीः (जे.जे. नियम 8(3))

(i) उस बालक को हवालात में नहीं भेजेगा और बालक को नजदीकी पुलिस थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सौंपने में देरी नहीं करेगा। वह पुलिस अधिकारी पकड़े गए बालक को अधिनियम की धारा 12 को उप–धारा (2) के अधीन जब तक कि उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दिया जाता है अर्थात उसको गिरफ्तार किए जाने से चौबीस घंटे और इन नियमों के भीतर, समुचित नियमों के नियम के अनुसार आदेश प्राप्त किए जाने तक किसी संप्रेक्षण में तब तक के लिए भेज सकता है।

(ii) बालक को कोई हथकड़ी, जंजीर नहीं पहनाएगा तथा बालक पर किसी भी प्रकार के दबाव या बल का प्रयोग नहीं करेगा।

(iii) बालक को तुरंत और सीधे उन आरोपों की जानकारी उसके माता–पिता या संरक्षक के माध्यम से दी जाएगी, जो उस पर लगाए गए हैं और यदि कोई प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो उसकी प्रति बालक को उपलब्ध कराई जाएगी या पुलिस रिपोर्ट की प्रति उसके माता–पिता या संरक्षक को दी जाएगी ।

(iv) बालक को, यथास्थिति, उपयुक्त चिकित्सीय सहायता, दुभाषिए या विशेष शिक्षक की सहायता या ऐसी कोई अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा, जिसकी आवश्यकता बालक को हो ।

(v) बालक को अपना अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेगा, तथा, उससे बातचीत केवल विशेष किशोर पुलिस इकाई या बालकों के अनुकूल परिसरों या पुलिस थाने में बालकों के लिए ऐसे अनुकूल स्थान पर की जाएगी, जहां बालक को ऐसा प्रतीत न हो कि वह पुलिस थाने में है या उसे हिरासत में रखकर उससे परिप्रश्न किए जा रहे हैं। पुलिस जब बालक से बातचीत करे तब उसके माता पिता या संरक्षक वहां उपस्थित हो सकते हैं ।

(vi) बालक से किसी कथन पर हस्ताक्षर करने को नहीं कहेगा, और ।

(vii) बालक को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करेगा।

3. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी सादे कपड़ो में होगा और वर्दी में नहीं होगा ।(जे.जे.नियम 8(4))

4. किसी ऐसे बालक द्वारा अभिकथित जघन्य अपराध किए जाने के मामलों में, जिसने सोलह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक को बोर्ड के समझ पहली बार प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक मास की अवधि में जांच के दौरान अपने द्वारा अभिलिखित

किए गए गवाहों के कथन और तैयार किए गए अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, जिनकी एक प्रति बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को भी दी जाएगी। (जे.जे. नियम 10(5))

5. विधि का उल्लघंन करने वाले बालक एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालकों रातभर का संरक्षणात्मक आवास के संबंध में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख व संरक्षण) आदर्श नियम 2016 के नियम 69 का पालन करें । (जे.जे. नियम 69)

6. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विनम्र और सौम्य तरीके से बात करेगा और बालक की गरिमा और आत्म सम्मान बनाए रखेगा ।(जे.जे.नियम 86(6))

7. जब किसी बालक की गुमशुदा की सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को सूचित करेगी और बालक को खोजने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई को प्रथम सूचना रिपोर्ट अग्रेषित करेगी। (जे.जे. नियम 92(3))

8. बाल कल्याण पुलिस अधिकारी बालक की सामाजिक पृष्ठभूमि और किसी अपराध में बालक की अभिकथित संलिप्तता के प्रत्येक मामले में उसे पकड़े जाने की परिस्थितियों की जानकारी कारणों सहित प्रारूप–1 में अभिलिखित करेगा, जिसे तुरंत बोर्ड को भेजा जायेगा। सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी एकत्रित करने के लिए बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह बालक के माता पिता या संरक्षक से संपर्क करें । (म.प्र.जे.जे. नियम, 2022 8(5))

9. पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी विधि का उल्लघंन करने वाले बालकों के साथ व्यवहार करते समय, संबंधित व्यक्ति या एजेंसी या मामला कार्यकर्ता की जिसे बोर्ड के समक्ष बालक को प्रस्तुत करना है, सहायता लेगा और यथास्थिति ऐसे व्यक्ति या एजेन्सी या मामला कार्यकर्ता को, ऐसी सहायता का लाभ लेने के लिए यथाशीघ्र सूचित करेगा । (म.प्र.जे.जे. नियम, 2022 8(9))

10. ऐसा पुलिस या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में पकडे गए बालक को तत्समय रखा है, या ऐसे बालक को जिसे उनकी जिम्मेदारी पर रखा गया है, उक्त अवधि के दौरान बालक की सुरक्षा और भोजन एवं बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगा । (म.प्र.जे.जे. नियम, 2022 8(10))

11. जब विधि का उल्लंघन करने के लिये अभिकथित बालक को पकड़ा जाता है. तब बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बालक को प्रस्तुति पूर्व बातचीत के लिये विशेष किशोर पुलिस इकाई ले जाएगा, जिसके बाद बालक को पकड़े जाने के 24 घंटे के भीतर पुलिस स्टेशन से बोर्ड तक की यात्रा में लगे समय को छोड़कर उन कारणों और परिस्थितियों को समाविष्ट करते हुए जिनके अधीन बालक को पकड़ा गया है, और प्रस्तुति–पूर्व–बातचीत की रिपोर्ट जिसमें बालक का कथन सम्मिलित है, प्रारूप–1 में बालक की सामाजिक पृष्ठ भूमि की रिपोर्ट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

परंतु विशेष किशोर पुलिस इकाई प्रस्तुति पूर्व–बातचीत संचालित करने के लिए इकाई को समुनदेशित किये गए सामाजिक कार्यकर्ताओं की सहायता लेगा और बालक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगा। (म.प्र.जे.जे. नियम, 2022 9(01))

12. यदि विधि का उल्लंघन करने के लिए अभिकथित बालक के बेवक्त या दूरदराज के स्थान से पकडे जाने के कारण, बोर्ड या एकल सदस्य के समक्ष प्रस्तुत न किया जा सकता हो या ऐसे संदस्य के उपलब्ध न होने की दशा में, इस संबंध में एक दैनिक डायरी बनाई जाएगी और बालक को इन नियमों के नियम 74(घ) के अनुसार बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा संप्रेक्षण गृह में या उपयुक्त सुविधा में ले जाया जाएगा और तत्पश्चात् बालक को उसके पकडे जाने के चौबीस घंटे के भीतर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । (म.प्र.जे.जे. नियम, 2022 9(06))

13. CWPO किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लंबित मामलो मे विधि विरूद्व बालकों, गवाहों, पालकों को जारी समसं/वारंट/नोटिस की तामीली हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करेगा।

14. बच्चों के हितों में कार्य करने वाली विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

15. एसजेपीयू की मासिक बैठकों व प्रशिक्षण शिविरों में संबंधित सूचनाओं के साथ भाग लेना।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः– प्रारूप क्र. 01

(प्रमोद वर्मा)
पुलिस महानिरीक्षक(अनुसंधान)
हेतु– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अ.अ.वि, पु.मु. भोपाल

क./पुमु/अअवि/जेएबी/फा.न. 57/15/डी– 689 / 22 दि. 02/12/2022

प्रतिलिपिः– कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. सचिव, म.प्र.शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल ।
2. रजिस्ट्रार, किशोर न्याय समिति, उच्च न्यायालय, जबलपुर ।
3. समस्त अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोन म.प्र. ।
4. पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल/इंदौर म.प्र. ।
5. संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल ।
6. समस्त प्रभारी, विशेष किशोर पुलिस इकाई म.प्र.।

2/12/22

पुलिस महानिरीक्षक(अनुसंधान)
हेतु– अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक
अ.अ.वि, पु.मु. भोपाल

प्ररूप–1

खनियम 8(1), 8(5), 8(7), 9(1),

समाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट

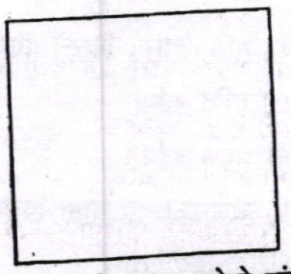

बालक का पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करें

एफ.आई.आर/डी.डी.संख्याः .....

धारा .....के अधीन

पुलिस स्टेशनः .....

तारीख और समयः ...../...../.....और.....

सी.डब्ल्यू.पी.ओ. का नामः .....

सी.डब्ल्यू.पी.ओ. का संपर्क ब्यौराः .....

1. नामः .....
2. पिता/माता/संरक्षक का नामः .....
3. लिंग पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर/अन्य .....
4. आयु एवं जन्म की तारीख (यदि मौखिक बयान/दस्तावेजों/उपस्थिति के आधार पर लियां गया है तो उल्लेख करें):

   .....और ...../...../.....
5. पताः .....

   .....

   .....
6. धर्मः हिन्दू/मुस्लिम/ईसाई/अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) .....

7. जाति एवं जनजाति पहचान : ओ सी/बी सी/एस सी/एसटी/सामान्य/अन्य

8. यदि बालक किसी प्रकार दिव्यांग है:

(1) शारीरिक दिव्यांगता :

(क) गति/चलने फिरने (दिव्यांगता)

(ख) दृष्टि बाधित

(ग) श्रवण बाधित

(घ) बोलचाल एवं भाषा दिव्यांगता

(2) बौद्धिक दिव्यांगता

(3) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें):

9. परिवार के ब्यौरे:

अनुक्रमांक	नाम तथा नातेदारी	आयु	लिंग	शिक्षा	व्यवसाय	आय	स्वास्थ्य की स्थिति	मनसिक रूग्णता का इतिहास (यदि कोई हो)	व्यसन (यदि कोई हों)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)

10. घर छोड़ने के लिए कारण .....

11. क्या अपराध में परिवार के सदस्यों का संलिप्त होने का कोई इतिहास रहा है), यदि कोई हो:

हां ☐ नहीं ☐

12. रोजगार के ब्यौरे, यदि कोई हो: .....

13. बालक की शिक्षा के ब्यौरे :

(एक) कभी स्कूल नहीं गया

(दो) पांचवी कक्षा तक अध्ययन

(तीन) पांचवी कक्षा तक अध्ययन लेकिन कक्षा आठ से कम

(चार) कक्षा आठ तक अध्ययन लेकिन कक्षा दस से कम

(पांच) कक्षा दस से अधिक अध्ययन।

14. स्कूल छोड़ने के लिए कारण :

(एक) पिछली कक्षा अध्ययन में फेल हुआ

(दो) स्कूल के कार्यकलापों में रूचि का अभाव

(तीन) अध्यापकों का उपेक्षा पूर्ण व्यवहार

(चार) समकक्ष– समूह का प्रभाव

(पांच) अर्जन और परिवार की मदद करना

(छह) माता–पिता की असामयिक मृत्यु

(सात) स्कूल में उत्पीड़न

(आंठ) स्कूल का कड़ा वातावरण

(नौ) अनुपस्थिति के उपरांत स्कूल से भाग जाना

(दस) नजदीक में आयु के अनुकूल स्कूल का अभाव

(ग्यारह) स्कूल में दुर्व्यवहार

(बारह) स्कूल में अपमान

(तेरह) शारीरिक दंड

(चौदह) शिक्षण का माध्यम

(पंद्रह) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)।

15. उस स्कूल के ब्यौरे जहां बालक अध्ययन कर रहा है :

16. व्यावसायिक प्रशिक्षण, यदि कोई हो: .....

17. क्या बालक किसी दुर्व्यवहार के अध्यधीन रहा है:

18. क्या बालक किसी अपराध का पीड़ित है: ख्यदि हाँ तो पुलिस द्वारा पहले से ही की जा चुकी कार्रवाई का ब्यौरा दें.

19. क्या बालक का इस्तेमाल किसी गैंग द्वारा अथवा वयस्कों द्वारा अथवा वयस्कों के ग्रुप द्वारा किया जा रहा है अथवा बालक को ओषधियों के वितरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है: ख्यदि हाँ तो पुलिस द्वारा पहले से की जा चुकी कार्रवाई का ब्यौरा दें,

20. वे कारण एवं परिस्थितियां जिनमें बालक को पकड़ा गया:.....
.....
.....

21. बालक से प्राप्त हुए समान के ब्यौरो: .....
.....

22. अपराध में बालक की तथाकथिन भूमिका: .....
.....
.....

23. बालक के विरूद्ध अपराधों की सूचना पर की गई कार्रवाई यदि कोई हो: .....
.....
.....

24. (बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा बालक की देखभाल ओर संरक्षण के संबंध में किशोर न्याय बोर्ड को दिए गए सुझाव/टिप्पणियां).....
.....
.....

हस्ताक्षर

बाल कल्याण पुलिस अधिकारी

दिनांक:...../...../.....

समय: .....